न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,रायपुर (ब्यावर)

पीठासीन अधिकारी :—श्री पूरण कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 02/2024

प्रकरण दर्ज तिथि :— 08.01.2024

जीसीएमएस नम्बर :— 2024/06

सिद्वकंवर भाटी पत्नि श्री ओमप्रकाश, जाति माली, निवासी ब्यावर तहसील ब्यावर जिला ब्यावर राज.

वादीया

बनाम

1. अजय कुमार भाटी पुत्र श्री ओमप्रकाश, उम्र—वयस्क, जाति माली निवासी ब्यावर,
2. संगीता परिहार पुत्र श्री ओमप्रकाश, उम्र—वयस्क, जाति माली निवासी ब्यावर,
3. संजय कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश, उम्र—वयस्क, जाति माली निवासी ब्यावर,
4. सुनीता सैनी पुत्री श्री ओमप्रकाश, उम्र—वयस्क, जाति माली निवासी ब्यावर, तहसील ब्यावर जिला ब्यावर राज.
5. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार रायपुर तहसील कार्यालय, रायपुर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 89 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित 1 श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता वादीगण उपस्थित

2 प्रतिवादी संख्या 01, 02, की ओर से श्री भूपैन्द्र सैन तथा 04 की ओर से श्री मनीष साहू अधिवक्ता उपस्थित एवं प्रतिवादी संख्या 03 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय

दिनांकः 12.08.2024

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री जसवंत सिह सांखला द्वारा दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र धारा 88,89 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा बिराटिया कलां पटवार हल्का बिराटिया कलां भु. अभि. निरी बर तहसील रायपुर जिला ब्यावर राज. की जमाबन्दी सवत् 2074—2077 के खाता सं. 36 खसरा सं. 386 रकबा 0.5827 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नं. 387/1 रकबा 0.4532 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा सं. 402/1 रकबा 0. 3237 हैक्टेयर, खसरा सं. 404 रकबा 1.2626 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भुमि आई हुई है। उपरोक्त वर्णीत आराजीयात को आगे वाद पत्र मे वादग्रस्त आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया जाएगा तथा सवत् 2074—2076 की जमाबंदी, वसीयत की प्रति, पारिवारिक इकरार नामा की प्रति, रजिस्ट्री की फोटो प्रति वाद पत्र के साथ पेश है जिसे वाद पत्र का आवश्यक भाग माना जावें। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी वादीया के पति एवं प्रतिवादीगण के पिता श्री ओमप्रकाश के द्वारा दिंनाक 21/12/2012 को खरीदशुदा भुमि है। जो पुर्व खातेदारों के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बेचान से वादी के पति के पक्ष मे उपंपजीयन कार्यालय मे उपस्थित होकर बेचाननामा करवाया है जो उपंपजीयन कार्यालय मे दिनांक 21/12/2012 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द सं. 215 मे पृष्ठ सं. 183 क्रम सं. 2012003472 पर पंजीबद्व है उक्त बेचाननामा की फोटो प्रति संलग्न है।

उक्त विवादित भुमि वादीया के पति एवं प्रतिवादीगण के पिता की खरीद शुदा भुमि होने से उनकी स्वअर्जित भुमि है। श्री ओमप्रकाश ने अपने जीवन काल मे दिंनाक 17/04/2002 को अपनी स्वअर्जित भुमि एवं उनके जीवनकाल मे उनके नाम अचल सम्पतियों के अलावा जो भी चल सम्पती है व आयन्दा जो भी अचल सम्पतियों मै अर्जित करूगां वो तमाम सम्पतियां यानि मेरे वफात के समय जो भी मेरी अचल सम्पतियों होगी उसके लिये यह वसीयत करता हूँ कि मेरे बाद मेरी तमाम चल व अचल सम्पतियों की मालिक मेरी पत्नि श्रीमति सिंद्वकवंर (वादीया) होगी। उक्त वसीयत श्री ओमप्रकाश मे वसीयत के समय की समस्त चल, अचल सम्पति एवं वसीयत लिखे जाने के बाद मे [illegible] रूप्ये का स्टाम्प पर वसीयत नामा वादीया के पक्ष मे लिखवाया गया। एवं उसे राजस्[illegible] के नोटेरी अधिवक्ता श्री हजारी लाल पारीख से उस वसीयत को तस्दीक क[illegible] पारीख के द्वारा उक्त वसीयत को तस्दीक कर अपने दर्ज रजिस्टर के क्रमांक सं. [illegible] दिनांक 17/04/2002 पर दर्ज किया गया। उक्त वसीयत की फोटो प्रति संलग्न है। वादीया के पति एवं प्रतिवादीगण के पिता श्री ओमप्रकाश का देहान्त 14/04/2020 को ब्यावर मे हो गया जिनके मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Puran kumar
Date: 2024.09.25 11:48:48 IST
Reason: SelfAttested

वादीया ने अपने पति के देहान्त हो जाने से वादीया ने ग्राम बिराटिया कलां मे आई उक्त भुमि के वसीयत के आधार पर नामान्तरण हेतु तत्कालीन हल्का पटवारी को वसीसत की प्रति दी एवं नामान्तरण करने का निवेदन किया जिस पर हल्का पटवारी के द्वारा नामान्तरण दर्ज करने का आश्वासान दिया जिस पर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

वादीया उनके सद्विश्वास मे रही की नामान्तरण हो गया है एवं वादीया वृद्व होने व बिमार होने से कभी राजस्व रेकर्ड की जानकारी नही ली। वादीया ने दिंनाक 27/11/2023 को वसीयत के आधार पर नामान्तरण करने का प्रार्थना पत्र तहसीलदार रायपुर को दिया जिस पर तहसीलदार रायपुर के द्वारा दिंनाक 15/12/2023 को अपने पत्र क्रमाक/भु. अ./लोसे/23/2952 दिंनाक 15/12/2023 के द्वारा अवगत करवाया की विवादित भुमि मे विरासत नामान्तरण सं. 2808/31.07.2023 स्वीकृत होकर भुमि वारिसानों के नाम दर्ज हो चुकी है वसीयत के आधार पर इस कार्यालय से नामान्तरण कार्यवाही नही की जा सकती है। वसीयत अनुसार नामान्तरण हेतु सक्षम न्यायालय मे वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करायें। इस कारण उक्त वाद बमुकाम रायपुर मे एवं विवादित भुमि ग्राम बिराटिया कलां पटवार हल्का बिराटिया कलां तहसील–रायपुर, जिला–ब्यावर में पैदा होता है, जो अदालत बाला के क्षैत्राधिकार, श्रवणाधिकार व हक अखत्यार का होने से एवं तहसीलदार रायपुर दिंनाक 15/12/2023 को नामान्तरण करने से मना करने से वाद अन्दर मियाद पेश है।

डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर फरमाकर यह आदेश दिया जावे कि वाद में वर्णित मौजा बिराटिया कलां पटवार हल्का बिराटिया कलां भु. अभि. निरी बर तहसील रायपुर जिला ब्यावर राज. की जमाबन्दी सवत् 2074–2077 के खाता सं. 36 खसरा सं. 386 रकबा 0.5827 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नं. 387/1 रकबा 0.4532 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा सं. 402/1 रकबा 0. 3237 हैक्टेयर, खसरा सं. 404 रकबा 1.2626 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भुमि वादीया के पति एवं प्रतिवादी के पिता श्री ओमप्रकाश के द्वारा दिंनाक 21/12/2012 को खरीदशुदा भुमि है। उक्त विवादित भुमि वादीया के पति एवं प्रतिवादीगण के पिता की खरीद शुदा भुमि होने से उनकी स्वअर्जित भुमि है। श्री ओमप्रकाश ने अपने जीवन काल मे दिंनाक 17/04/2002 को अपनी स्वअर्जित भुमि एवं उनके जीवनकाल मे उनके नाम अचल सम्पतियों के अलावा जो भी चल सम्पति है व आयन्दा जो भी अचल सम्पतियों मै अर्जित करूगां वो तमाम सम्पतियां यानि मेरे वफात के समय जो भी मेरी अचल सम्पतियों होगी उसके लिये यह वसीयत करता हूँ कि मेरे बाद मेरी तमाम चल व अचल सम्पतियों की मालिक मेरी पत्नि श्रीमति सिंद्वकवंर (वादीया) होगी। उक्त वसीयत श्री ओमप्रकाश मे वसीयत के समय की समस्त चल अचल सम्पति एवं वसीयत लिखे जाने के बाद मे अर्जित चल अचल सम्पति का जरिये 10 रूप्ये का स्टाम्प पर वसीयत नामा वादीया के पक्ष मे लिखवाया गया। एवं उसे राजस्थान सरकार के नोटेरी अधिवक्ता श्री हजारी लाल पारीख से उस वसीयत को तस्दीक करवाया गया एंव नोटरे अधिवक्ता श्री हजारी लाल पारीख के द्वारा उक्त वसीयत को तस्दीक कर अपने दर्ज रजिस्टर के क्रमांक सं. 4592 दिंनाक 17/04/2002 पर दर्ज किया गया। इसलिए वादीया को वसीयत के आधार पर सम्पुण विवादित भुमि का एकमात्र खातेदार घोषित किया जावे नामान्तरण सं. 2808 को शुन्य माना जाकर प्रतिवादी सं. 1 से 4 के स्थान पर वादीया को खातेदार घोषित फरमाया जावे। वर्तमान मे मौके पर वादीया का कब्जा काश्त है। वसीयत के आधार पर वादीया को विवादित भुमि मे प्रतिवादी के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित वादीया किया जाकर को राजस्व रेकर्ड मे वादीया का नाम प्रतिवादी के स्थान पर दर्ज करने हेतु प्रतिवादी सं. 5 को आदेशित किया जावे कि वो वादी का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करे। वादीया के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु निवेदन किया।

अतः वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01, 02 की ओर से अधिवक्ता श्री भूपैन्द्र सैन ने वकालतनामा पेश किया हैं जो संलग्न पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 03,04 के सम्मन तामिल के बावजूद भी अनुपस्थित रहे। पर्याप्त अवसर देने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीगण संख्या 03,04 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 04 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 07 सीपीसी मय वकालतनामा श्री मनीष साहू अधिवक्ता ने पेश किया हैं जो संलग्न पत्रावली किया गया। वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति नहीं की। प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष बहस समायत की जाकर प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 07 सीपीसी स्वीकार किया गया तथा प्रतिवादी को अपना पक्ष रखने हेतु अवसर दिया गया। प्रतिवादी संख्या 01, 02 व 04 की ओर से वादपत्र पर जबाव पेश किया हैं जिसकी प्रति वादी अधिवक्ता को दी गई। प्रस्तुत जबाव में वादपत्र में अंकित सभी कथनो को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार [illegible] वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01,02,04 द्वारा राजीनामा पेश किया है जो संलग्न पत्रावली किया गया।

वादी अधिवक्ता ने बहस के दौरान [illegible] ने अपने जीवन काल मे दिंनाक 17/04/2002 को अपनी स्वअर्जित भुमि [illegible] उनके नाम अचल सम्पतियों के अलावा जो भी चल सम्पति है व आयन्दा जो भी अचल सम्पतियों मै अर्जित [illegible]गां वो तमाम सम्पतियां यानि मेरे वफात के समय जो भी मेरी अचल सम्पतियों होगी उसके लिये यह वसीयत करता हूँ कि मेरे बाद मेरी तमाम चल व अचल सम्पतियों की मालिक मेरी पत्नि श्रीमति सिंद्वकवंर (वादीया) होगी। उक्त वसीयत वसीयत को तस्दीक कर अपने दर्ज रजिस्टर के क्रमांक सं. 4592 दिंनाक 17/04/2002 पर दर्ज किया गया। इसलिए वादीया को वसीयत के आधार पर सम्पूर्ण विवादित भुमि का एकमात्र खातेदार घोषित किया जावे। नामान्तरण सं. 2808

Signature Not Verified
Digitally signed by Puran kumar
Date: 2024.09.25 11:48:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

दिनांक 31.07.2023 को प्रभाव शून्य माना जाकर सरहद मौजा बिराटिया कलां पटवार हल्का बिराटिया कलां भु. अभि. निरी बर के खसरा सं. 386 रकबा 0.5827 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नं. 387/1 रकबा 0.4532 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा सं. 402/1 रकबा 0. 3237 हैक्टेयर, खसरा सं. 404 रकबा 1.2626 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में प्रतिवादी सं. 1 से 4 के स्थान पर वादीया को खातेदार घोषित फरमाया जावे।

उपस्थित प्रतिवादी अधिवक्ता ने भी वादीया के कथन को दोहराते हुए वादपत्र की इस्तेदुआ को स्वीकार करने में अपनी सहमति प्रदान की हैं।

उभयपक्ष बहस समायत की गई। बहस, उपलब्ध दस्तावेजो एवं पत्रावली के अवलोकन के पश्चात् सरहद मौजा बिराटिया कलां पटवार हल्का बिराटिया कलां भू अभि. निरी बर के खसरा सं. 386 रकबा 0. 5827 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नं. 387/1 रकबा 0.4532 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा सं. 402/1 रकबा 0.3237 हैक्टेयर, खसरा सं. 404 रकबा 1.2626 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में प्रतिवादी सं. 1 से 4 के स्थान पर वादीया को खातेदार घोषित किया जाना एवं नामान्तरण संख्या 2808 दिनांक 31.07.2023 को प्रभाव शून्य घोषित किया जाना न्यायोचित समझतें हैं।

आदेश

वादी का वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा बिराटिया कलां पटवार हल्का बिराटिया कलां भू अभि. निरी बर के खसरा सं. 386 रकबा 0.5827 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नं. 387/1 रकबा 0.4532 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा सं. 402/1 रकबा 0.3237 हैक्टेयर, खसरा सं. 404 रकबा 1.2626 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में प्रतिवादी सं. 1 से 4 के स्थान पर वादीया को खातेदार घोषित किये जाने आदेश दिये जाते हैं एवं नामान्तरण संख्या 2808 दिनांक 31.07.2023 को प्रभाव शून्य घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। शेष खाता यथावत रहेगा। वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलअंदाजी से प्रतिवादीगण, उनके नौकर–चाकर, हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता हैं। तदानुसार डिक्री पर्चा बनाया जाकर पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को प्रेषित किया जावें। तहरीर जारी हों।

(पूरण कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 12.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Puran kumar
Date: 2024.09.25 11:48:48 IST
Reason: SelfAttested

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

बईजलास :– श्री पूरण कुमार आर.ए.एस.

सिद्दकंवर भाटी पत्नि श्री ओमप्रकाश, जाति माली, निवासी ब्यावर तहसील ब्यावर जिला ब्यावर राज.

वादीया

बनाम

1. अजय कुमार भाटी पुत्र श्री ओमप्रकाश, उम्र–वयस्क, जाति माली निवासी ब्यावर,
2. संगीता परिहार पुत्र श्री ओमप्रकाश, उम्र–वयस्क, जाति माली निवासी ब्यावर,
3. संजय कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश, उम्र–वयस्क, जाति माली निवासी ब्यावर,
4. सुनीता सैनी पुत्री श्री ओमप्रकाश, उम्र–वयस्क, जाति माली निवासी ब्यावर, तहसील ब्यावर जिला ब्यावर राज.
5. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार रायपुर तहसील कार्यालय, रायपुर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 188 राज. काश्त. अधि.

राजस्व वाद 02/2024

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुदईव प्रतिवादीगण संख्या 01,02 की ओर से श्री भूपैन्द्र सैन तथा 04 की ओर से श्री मनीष साहू एवं प्रतिवादी संख्या 03 अनुपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा बिराटिया कलां पटवार हल्का बिराटिया कलां भू अभि. निरी बर के खसरा सं. 386 रकबा 0.5827 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नं. 387/1 रकबा 0.4532 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा सं. 402/1 रकबा 0.3237 हैक्टेयर, खसरा सं. 404 रकबा 1.2626 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में प्रतिवादी सं. 1 से 4 के स्थान पर वादीया को खातेदार घोषित किये जाने आदेश दिये जाते हैं एवं नामान्तरण संख्या 2808 दिनांक 31.07.2023 को प्रभाव शून्य घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। शेष खाता यथावत रहेगा। वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलअंदाजी से प्रतिवादीगण, उनके नौकर–चाकर, हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता हैं।

नीज......................×................मुबलिक...............×.............बाबत्............×............ खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ... .×................फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक ....×..........................को अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12.08.2024 को जारी किया गया।

(पूरण कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दयलह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा –	02	00	स्टाम्प वकालतनामा –	04	00
स्टाम्प वकालतनामा –	01	00	स्टाम्प हाजरी –	02	00
स्टाम्प वजह सबूत –	00	00	मेहनताना वकील पर –		
मेहनताना वकील –			खर्चा गवाहान –		
खर्चा गवाहान –			फीस कमिश्नर –		
फीस कमिश्नर –			बाबत इजराय हुक्मनामा –		
बाबत इजराय हुक्मनामा –			मुतफरिक –	01	00
मुतफरिक –	00	00	[illegible]		
मीजान	03	00		07	00

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा [illegible] जरिये दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Puran kumar
Date: 2024.09.25 11:48:48 IST
Reason: SelfAttested